

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा रायगढ़ विलासपुर छत्तीसगढ़

email: bwp.jd18@gmail.com फोन नं. 97782 46888

क्र./प्रशासा / पान्ति नवीनी / टीडीटी / 2021 / 173
पति

विलासपुर, दिनांक २६/१०/२०२१।

प्राप्ति
दिल्ली नवल पब्लिक स्कूल,
बड़ेरामपुर जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

प्रेषण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का गान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ आपका पत्र दिनांक 06/09/2021



सदृशीत आवेदन के अनुसार आपकी संख्या को जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के पत्र क्र./7573/गान्यता/2019-20 रायगढ़ दिनांक 20.12.2019 में उल्लेखित शर्तों के अधीन एय नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, घांडमारी, जिला-रायगढ़ के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली नवल पब्लिक स्कूल, बड़ेरामपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) (यू. डाईस-22041514814) को कक्षा नवंसी से कक्षा 10 तक रात्र 2021-22 से 2023-24 कूल तीन वर्षों के लिये अंग्रेजी गान्या विद्यालय की शाला संचालन करने हेतु उन्नतिग मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की रासुचना छ ग शहसुन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ.-02-39/2019/20 - दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्ते के अधीन दिया जाता है -

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्षों के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है -
- विद्यालय का भवन - प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक - पृथक कक्ष।
- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक - पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- द्वियांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।


PRINCIPAL
 Delhi World Public School
 Circuit House Road
 Bade Rampur, P. G. (C.G.)
 Pin - 490001


- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए फॉर्मर की आवश्यकता।
- ज्ञान स्तर अनुसार योग्य एवं परिशिष्ट अनुपात की आवश्यकता।
- सुन्दर पेगजल यूनिट आदि। शामन नहीं।
- बाहारहित पहुंच मार्ग आदि।
- कौड़ा खेलकूद के उपकरण/पूसानगलय/प्रयोग शाला की पुष्टि—पृष्ठक उपलब्धता।
- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी हारा या ताराण्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्याय द्वारा संचालित होगा।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी भाँड़े एकाउन्टेन्ट हारा सापरीका की जानी चाहिए और उसके हारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ताकि उपर्युक्त सेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आदित की एक प्रति प्रत्येक वर्ग विद्या शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
- आपके विद्यालय को यू.डी.ई.सी.-22041514914 को पत्राधार के लिए उत्त्वेत्ता करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय / संयुक्त संचालक शिक्षा समाग विलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी हारा रामगय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो कम्युनिटी जर्ती के सतत अनुपालन को गुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की जमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हों।
- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
- विद्यालय बद करने या आगे संचालन नहीं करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/ विद्या शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
- छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के हारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के हारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।


 संयुक्त संचालक

 शिक्षा संमाग विलासपुर
 छत्तीसगढ़

पृ. क/अशास/मान्य नवीनी/RIG-T/2021/ 173A विलासपुर, दिनांक 26/10/2021.
 प्रतिलिपि:-

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- संविवेत, छ.ग. गान्धीनिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।


PRINCIPAL
 Delhi World Public School
 Circuit House Road
 Bade Rampur, Raigarh (C.G.)
 Pin - 496001


 संयुक्त संचालक

 शिक्षा संमाग विलासपुर
 छत्तीसगढ़